



Attention MANUFACTURERS REGISTRATION is Mandatory

For 30 Electronics and IT products*

- No person shall **manufacture, import, sell or distribute** Goods which do not conform to the specified Indian Standard and do not bear the words “Self declaration – conforming to IS.....” or the “Standard Mark”  on such Goods after obtaining Registration from the Bureau of Indian Standards.
- To apply for registration visit www.crsbis.in



*30 Categories of Electronics and IT Products notified by Department of Electronics & Information Technology are :

- LED Light Fixtures or Fittings • LED Lamps • LED Drivers • UPS and Invertors of capacity 5 kVA and below • Electronic Clocks with Mains Powers • Microwave Ovens • Plasma/LCD/LED Televisions of screen size 32" and above • Chargers for AV & Electronic Products • Amplifiers (with input power 2000W & above) • Electronic Musical Systems (with input power 200W & above) • Optical Disc Players (with built in amplifier of input power 200W & above) • Electronic Video games • Point-of-sale terminals • Chargers for IT Equipment • ADP Machine • Laptop/ Notebook/Tablet • Portable Power Banks • Mobile Phones • Printers and Plotters • Cash Registers • Photocopiers • Card Readers • Franking machine • Passport Reader • Set Top Box • Telephone Answering Machines • Scanners • Wireless Keyboards • Visual Display Units/ Monitors of screen size 32" and above • Rechargeable Cells and Batteries (with effect from 1st June, 2016)



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Telefax : 011-23235069 | Website : www.bis.org.in

निर्माता ध्यान दें पंजीकरण अनिवार्य है।

30 इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी उत्पादों के लिए*

- कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं जो निर्दिष्ट भारतीय मानक के अनुरूप न हों और जिन पर भारतीय मानक ब्यूरो से रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने के बाद 'स्वघोषणा-आईएस:..... से अनुरूपता' इन शब्दों अथवा 'मानक मुहर'  के बिना, निर्माण, आयात, बिक्री अथवा वितरण नहीं करेगा।
- पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु www.crsbis.in देखें



'इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी उत्पादों की अधिसूचित 30* श्रेणियाँ इस प्रकार हैं :-

- एलईडी लाइट फिक्सचर या फिटिंग • एलईडी लैम्प • एलईडी ड्राइवर • यूपीएस और 5 केवीएस या उससे नीचे की धारिता वाले इनवर्टर • मेन पावर वाली इलैक्ट्रॉनिक घड़ियाँ • माइक्रोवेव ओवन • 32" और इससे बड़े आकार वाले प्लाज्मा / एलसीडी / एलईडी टेलीविजन • एवी और इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए चार्जर • एम्पलिफायर्स (200 वाट या इससे अधिक इंपुट पावर सहित) • इलैक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रणाली (200 वाट या इससे अधिक इंपुट पावर सहित) • ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर (200 वाट या इससे अधिक की इंपुट क्षमता वाले बिल्ट-इन एम्पलिफायर के साथ) • इलैक्ट्रॉनिक वीडियो गेम • बिक्री केंद्र बिंद • आईटी उपस्कर के लिए चार्जर • एडीपीमशीन • लैपटॉप / नोटबुक / टेबलेट • पोर्टेबल पावर बैंक • मोबाइल फोन बॉक्स • प्रिंटर और प्लॉटर • रोकड़ बहियाँ • फोटोकॉपी करने की मशीनें • कार्ड रीडर • फ्रेंकिंग मशीन • पासपोर्ट रीडर • सेटटॉप बॉक्स • टेलीफोन से उत्तर देने वाली मशीन • स्कैनर • वायरलेस की बोर्ड • विजुअल डिस्प्ले यूनिट / 32" या इससे बड़े आकार के मॉनीटरों की स्क्रीन • रिचार्जबल सैल और बैटरियाँ (1 जून 2016 से)



भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
टेलीफैक्स: 011-23235069 | वेबसाइट: www.bis.org.in

